



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.12.2024

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटनाओं में लिप्त 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुयी 01 मोटरसाइकिल व चोरी के सामान के विक्रय से प्राप्त 3860/- रुपये, दोनों अभियुक्तों से 01-01 अवैध चाकू बरामद:-**

ज्ञात हो कि दिनांक 21.06.2024 को वादी अनवर पुत्र साजिद निवासी ग्राम आमवाली थाना झिंझाना जनपद शामली ने घर से अज्ञात चोरों द्वारा मोबाईल फोन, जेवरात व रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर एवं दिनांक 01.12.2024 को वादी तौफिक पुत्र स्व0 शफीक अहमद निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना कैराना ने अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्पलैण्डर को इण्डियन बारात घर के पास से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दी थी। घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कैराना/झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना कैराना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर चोरों को थाना कैराना क्षेत्र से चोरी की हुयी मोटरसाइकिल व ग्राम आमवाली से चोरी किये सामान को विक्रय कर प्राप्त रूपयों में से अभियुक्त विजय से 2200/- रुपये व अभियुक्त हरेन्द्र से 1660/- रुपये व दोनों अभियुक्तों से 01-01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना/कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. विजय पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम डेरा भागीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. हरेन्द्र पुत्र रतिभान निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त विजय उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 313/16 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 353/16 धारा 379/411/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 359/16 धारा 414/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 354/16 धारा 2/3 गैगस्टर थाना कोतवाली जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 417/20 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 538/20 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 546/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 553/20 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 585/20 धारा 307/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 587/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 591/20 धारा 414/420 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
12. मु0अ0सं0 636/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
13. मु0अ0सं0 236/20 धारा 379/411 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरेन्द्र उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 082/16 धारा 379/411 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 431/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 430/21 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 719/16 धारा 414/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

- 5.मु0अ0सं0 720/16 धारा 379/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
- 6.मु0अ0सं0 757/180 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
- 7.मु0अ0सं0 785/17 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली ।

**बरामदगी का विवरण:-**

- 1.चोरी की मोटरसाईकिल सुपर स्प्लेण्डर रजि0नं0 UP19E4088
- 2.अवैध 02 चाकू ।
- 3.चोरी के सामान के विक्रय से प्राप्त 3860/- रुपये ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
- 2.है0का0 योगेन्द्र जनपद थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
- 3.है0का0 विपिन पाठक थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
- 4.है0का0 योगेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिली ।



## थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 02.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अजय उर्फ चील पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली।

### बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0स0 300/23 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.मु0अ0स0 489/24 धारा 380/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.मु0अ0स0 516/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.मु0अ0स0 665/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
- 5.मु0अ0स0 658/20 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
- 6.मु0अ0स0 659/20 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री क्षितिज कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.व0उ0नि0 सुभाष सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.का0 आशुतोष नागर थाना कांधला जनपद शामली।
- 5.का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



**थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 02.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

- 1.अजमेर पुत्र मुंशी निवासी अम्बहटा याकूबपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.साजिद पुत्र हनीफ निवासी सोहजनी उमरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।



**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 1,800/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-**

1.वर्ष 1994 में अभियुक्तगण 1.जाफरु पुत्र अलीनवाज निवासी भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली व 2.मौ0 इकबाल पुत्र जाफरु निवासी भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 51/1994 धारा 147/379/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 02.12.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा उपरोक्त धाराओं में मा0 न्यायालय उठने तक के कारावास व 9,00-9,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

- 1.जाफरु पुत्र अलीनवाज निवासी भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.मौ0 इकबाल पुत्र जाफरु निवासी भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।